

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2015—आश्विन 4, शक 1937

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

एफ 30-08-2002-दस-3.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 और 42 के साथ पठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 4 में, भाग (ख) में,—

- (एक) शब्द “या ग्राम पंचायत जिसकी अधिकारिता में वनोपज पाई गई हो या पैदा हुई हो” का लोप किया जाय;
- (दो) खण्ड (2) का लोप किया जाए.

F. 30-08-2002-X-3.—In exercise of the powers conferred by Section 41 and 42 read with Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules, 2000, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 4, in part (B), —

- (i) The words “or Gram Panchayat in whose jurisdiction the forest produce is found or grown” shall be omitted;
- (ii) Clause (2) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप सिंह राजपूत, अपर सचिव.